लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
072/2022 **(GCMS 2022/348)**	10.10.2022	19.10.2022

अनवान

बाबुलाल टेलर निवासी ए 101 गांधीनगर, सेक्टर नंबर 5, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./072/2022(सू.अ.)(19.10.2022)/775 दिनांक 10.10.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.10.2022 से पूर्व कमेंट्स/ टप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 19.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र से सूचना देने के बावजूद अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/आरटीआई/2022/942 दिनांक 18.10.2022 से कमेण्ट्स प्रेषित किए गए, जो कि इस प्रकार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 01 अस्वीकार होकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 07.09.2022 से निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।
2. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 02 प्रथम अपील के निर्णय अधीन हैं।
3. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 03 अस्वीकार होकर अप्रार्थी को चाही गई सूचना निर्धारित अवधि में तैयार कर प्रेषित कर दी गई हैं।
4. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 04 अपीलार्थी से संबंधित हैं।
5. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार होकर वांछित सूचना कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/115 दिनांक 01.10.2022 से रजिस्टर्ड पत्रांक से प्रेषित की जा चुकी हैं। जिससे प्रत्यार्थी द्वारा लोक सूचना कार्यालय की कार्यशैली को प्रश्नगत करना अनुचित हैं। एवं अधीनस्थ कार्मिक संबंधित निरीक्षक व पटवारी के विरूद्ध शिकायती तथ्यों के क्रम में प्रत्यार्थी द्वारा किसी प्रकार का प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। तथा प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र कार्यालय हाजा में प्राप्त होना नहीं पाया गया हैं।
6. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 06 अस्वीकार होकर पटवारी/निरीक्षक व अन्य विभागीय कार्य हेतु तहसील मुख्यालय अथवा अन्य अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहकर कार्य संपादित करते हैं।
7. उक्त बिन्दुओं के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किया जाना प्रस्तावित हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/आरटीआई/2022/942 दिनांक 18.10.2022 से प्रेषित कमेण्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 तक की सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2022/115 दिनांक 01.10.2022 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करा दी गई हैं। एवं अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 04 से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर से संबंधित होने पर सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2022/112 दिनांक 21.09.2022 द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को उपखण्ड अधिकारी भदेसर को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति की दिनांक 07.09.2022 से 13 दिवस पश्चात् स्थानान्तरित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि **"यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हैं, वहाँ, वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन को अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"** हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरित किया गया हैं जो उचित नहीं है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 02.09.2022 के बिन्दु संख्या 04 से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर से प्राप्त कर नियमानुसार तैयार कर 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.10.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
19.10.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official